बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र श्री मूला बावरी निवासी काबरा तह हमीरगढ।
2. सत्यनारायण पुत्र मिश्री लाल ईनाणी नि0 बी शास्त्रीनगर भीलवाडा।
3. साबीयाशाह पत्नि श्री अब्दुलमजीद नि0 सेशन कोर्ट रोड, भीलवाडा।
4. गोपाल लाल पुत्र सोहन लाल नि0 हमीरगढ।
5. राजकुमार पुत्र सोहनलाल जाट नि0 हमीरगढ।
6. अशोक पुत्र प्यारचन्द ब्राह्मण नि0 हमीरगढ।
7. कन्हैयालाल पुत्र प्यारचन्द ब्राह्मण नि0 हमीरगढ।
8. श्याम लाल पुत्र श्री प्यारचन्द ब्राह्मण नि0 हमीरगढ।
9. शिवजी पुत्र प्यारचन्द ब्राह्मण नि0 हमीरगढ।
10. पूरणमल पुत्र जोधा खटीक नि0 हमीरगढ।
11. गोपाल लाल पुत्र नानू हरिजन नि0 हमीरगढ।
12. प्रहलाद पुत्र नानू हरिजन नि0 हमीरगढ।
13. कमलेश पुत्र सुरेश चन्द्र हरिजन नि0 हमीरगढ।
14. रामपाल उर्फ शंकर पुत्र प्यारा बावरी नि0 काबरा तह हमीरगढ।
15. नारायण पुत्र बालु बलाई नि0 हमीरगढ।
16. जगदीश पुत्र बालु बलाई नि0 हमीरगढ।
17. जालम पुत्र नगजी बलाई नि0 हमीरगढ।
18. गोपी पुत्र लाल सिंह राजपूत नि0 हमीरगढ।
19. शंकर सिंह पुत्र लाल सिंह राजपुत नि0हमीरगढ।
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा(राज)

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 23.06.2022

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भॅू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.04.2021 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू0अ0नि0 क्षेत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 221 की कृषि भूमि की आ0न0 1237 रकबा 0.5058है0, आ0न0 1239 रकबा 0.0379है0, आ0न0 1241 रकबा 0.0632 है0, आ0न0 1242 रकबा 0.4805है0, आ0न0 1243 रकबा 0.3414है0, आ0न0 1244 रकबा 0.0379है0, आ0न0 3808 रकबा 1.3277है0, आ0न0 3917/1239 रकबा 0.0253है0, आ0न0 4095/1245 रकबा 0.1265है0, कुल किता 09 रकबा 2.9462 है0** भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.06.2022 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 19 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:05:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

–::आदेश::–

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है **ग्राम हमीरगढ प.ह. हमीरगढ भू0अ0नि0 क्षैत्र हमीरगढ तह हमीरगढ में उसके खाते की खाता संख्या 221 की कृषि भूमि की आ0न0 1237 रकबा 0.5058है0, आ0न0 1239 रकबा 0.0379है0, आ0न0 1241 रकबा 0.0632 है0, आ0न0 1242 रकबा 0.4805है0, आ0न0 1243 रकबा 0.3414है0, आ0न0 1244 रकबा 0.0379है0, आ0न0 3808 रकबा 1.3277है0, आ0न0 3917/1239 रकबा 0.0253है0, आ0न0 4095/1245 रकबा 0.1265है0, कुल किता 09 रकबा 2.9462 है0** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 1200/–रू0 पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/–रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 23.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(अंशुल आमेरिया)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ़, जिला-भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2022.10.11 17:05:25 IST
Reason: SelfAttested